संख्या- 131 /2026 / 923 /चार-2026-2035522

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2026**

विषय- पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों पर चहारदीवारी निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2514/प्रथम-112ख(81)/2025, दिनांक 23 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरातत्व विभाग के कतिपय संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों- नटवाडीह का टीला, लखनऊ, मनवाडीह का टीला, सीतापुर, इटिहवा नामक प्राचीन कस्बे के अवशेष, सुल्तानपुर तथा कोट (समय माई का टीला), खलीलाबाद, संत कबीर नगर पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराया जाना है।

2. अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.2026 को सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक में प्रश्नगत स्मारकों/पुरास्थलों की चहारदीवारी/ बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य के संबंध में संस्तुति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक - 4202041061700 -उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों/पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट की स्थापना मद में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित स्मारकों/ पुरास्थलों पर चहारदीवारी निर्माण हेतु स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति एवं स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल धनराशि **रू0 502.00 लाख (रू0 पांच करोड़ दो लाख मात्र)** अवमुक्त करने की अनुमति प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	स्मारक / स्थल का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	नटवाडीह का टीला, लखनऊ	सी0 एंड डी0 एस0	205.61	151.29
2	मनवाडीह का टीला, सीतापुर		354.32	177.16
3	इटिहवा नामक प्राचीन कस्बे के अवशेष, सुल्तानपुर		226.99	113.49
4	कोट (समय माई का टीला), खलीलाबाद, संत कबीर नगर		120.13	60.06
	कुल योग		907.05	502.00

4. शर्तें/ प्रतिबंध

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) निदेशक, पुरातत्व द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक, पुरातत्व द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, पुरातत्व/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है. यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, पुरातत्व/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

(10) प्रश्नगत संरक्षित स्मारक का अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पुरातत्व/कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र, भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट पुरातत्व निदेशालय एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे भी शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(12) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **5,02,00,000.00 (रुपये पाँच करोड़ दो लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202041061700 उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों/पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- आहरण वितरण अधिकारी, पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-944-Reapp Arch Smarak

विषय:- पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारक / पुरास्थलों पर चहारदीवारी निर्माण हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048005100 (अयोध्या में विभिन्न कार्य)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	0 शून्य	2025-2026
092	4202041040300 (राज्य अभिलेख--)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	3,02,00,000 रुपये तीन करोड़ दो लाख मात्र	3,02,00,000 रुपये तीन करोड़ दो लाख मात्र	3,02,00,000 रुपये तीन करोड़ दो लाख मात्र	1,98,00,000 रुपये एक करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 5,02,00,000	₹ 5,02,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061700 (उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों/पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य व स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	5,02,00,000 रुपये पाँच करोड़ दो लाख मात्र	5,02,00,000 रुपये पाँच करोड़ दो लाख मात्र	8,02,00,000 रुपये आठ करोड़ दो लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,02,00,000	₹ 5,02,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- वास्तविक व्यय के कारण।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- परियोजना पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-774-E-7-338-X-2025-26-दिनांक: 28-03-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 131 /2026 / 923 /चार-2026-2035522 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, छतर मंजिल, कैसरबाग, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वित्त अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से
मनोज कुमार
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।